रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 1968/माघ 17, 1889

No 21] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 1968/MAGHA 17, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1968

विषय:—एक पुनर्वास बोर्ड की स्थापना

संख्या 3(5)/67-**आ.र० ए ब०**-V:—1946 से लेकर आज तक इस [illegible] को पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले अल्प-संख्यकों को बसाने के कार्य का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम पाकिस्तान से आये अधिकांश विस्थापित व्यक्तियों को भूमि पर, तथा छोटे-मोटे [illegible] व्यापार में बसाया जा चुका है किन्तु जहां तक पूर्वी-पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों तथा [illegible] में लौटने वाले भारतीयों की सहायता तथा पुनर्वास का सम्बन्ध है, यह अभी तक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिये एक मुख्य समस्या और जिम्मेदारी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत हो [illegible] अब ऐसी समस्या आ गई है कि विस्थापित व्यक्तियों और विदेशों से [illegible] को कृषि और छोटे-मोटे धंधों में बसाने की कम गुंजाइश दिखाई देती है। इस प्रसंग में यह साफ [illegible] है कि विस्थापित व्यक्तियों और विदेश से लौटने वाले भारतीयों को बसाने के लिये केन्द्रीय [illegible] भविष्य में केवल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित

कार्यक्रम, विशेषकर एकीकृत क्षेत्र की विकास योजनाओं पर ही निर्भर होगा। उद्योग में विशेषकर प्रादेशिक विकास कार्यक्रम होंगे ("विशेष क्षेत्र") जिनमें दण्डकारण्य, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चान्दा जिला (महाराष्ट्र) आते हैं।

2. लगभग दस लाख से अधिक व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन तथा एकीकरण की चली आ रही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने एक पुनर्वास-बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है। इस बोर्ड में राष्ट्रीय नेता और उद्योगपति होंगे जो सरकार को योजना तथा औद्योगिक और उससे सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने में सलाह देंगे।

बोर्ड के विचारणीय विषय निम्न होंगे :—

(1) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों और बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से लौटने वाले भारतीयों को उद्योगों तथा अन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुनर्वास सम्बन्धी कार्य-नीतियों तथा उपायों के बारे में सलाह देना;

(2) निम्नलिखित के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मुख्य कठिनाइयों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में गहन अध्ययन:—

(क) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण तथा अन्य गैर-कृषि कार्यक्रमों में पुनर्व्यवस्थापन; और

(ख) दण्डकारण्य प्रायोजना क्षेत्र का औद्योगिक विकास तथा अन्य क्षेत्र जिन्हें "विशेष क्षेत्र" घोषित किया जा चुका है।

(3) निगम के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा चालू की गई योजनाओं के कार्य तथा प्रगति का निश्चय करना;

(4) निम्न के बारे में योजना तैयार करने तथा उसे कार्य रूप देने के लिये सरकार की सहायता करना :—

(क) पुनर्वास उद्योग—निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक उपाय;

(ख) पुनर्वास उद्योग निगम, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सरकारी औद्योगिक तथा वाणिज्य उद्योगों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों के लिये उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण और गैर-कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत बसाने के लिये भावी कार्यक्रम और योजनाओं की रूप-रेखा निश्चित करना;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों तथा विदेशों से लौटने वालों को अधिक संख्या में रोजगार पर लगाने के लिये उद्योग तथा दस्तकारी को प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देने के सम्बन्ध में व्यापक कार्य नीति;

(घ) दण्डकारण्य तथा "विशेष क्षेत्र" [अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और चान्दा जिला (महाराष्ट्र)] में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय।

4. बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. श्री मनुभाई शाह।

सदस्य

2. श्री आर० वेंकटारमन, सदस्य योजना आयोग ।

3. श्री ए० के० सेन, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-निदेशक ।

4. श्री के० सी० मैत्रा, "गैस्ट, कीन विलियमस लिमिटेड", कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक ।

5. श्री ए० एम० एम० अरुनाचलम, "ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भारत",—मद्रास ।

6. श्री डी० सी० कोठारी, उद्योगपति, मद्रास ।

7. श्री ई० डकास्टा, भारतीय लोकमत संस्था, नई दिल्ली के प्रबन्ध निदेशक ।

8. औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों के मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि ।

9. वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

10. श्री बी० पी० सूद, संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग ।

5. बोर्ड को और सदस्य बनाने का अधिकार होगा किन्तु उनकी संख्या पांच से अधिक न होगी । जब कभी आवश्यक होगा, भारत सरकार के सचिव, और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागों के अध्यक्षों को सभा की बैठक मे उपस्थित होने का अनुरोध किया जायेगा । यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तियों का भी निमन्त्रित करेगा, जैसे—व्यापार मण्डल और उद्योग संघ, अखिल भारत व्यापारिक संगठन, प्रादेशिक व्यापार मण्डल तथा औद्योगिक संघ की संस्थाएं, राज्य व्यापार निगम, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड तथा रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष/सभापति ।

6. बोर्ड अपनी कार्य-प्रणाली आप तैयार करेगा । बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये कार्य को चलाने के लिये सदस्यों में से, बोर्ड समितियों का गठन कर सकता है जिनमें बोर्ड द्वारा बनाये हुये सदस्य भी हो सकते हैं किन्तु उनकी संख्या समिति की एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं हो सकती । जहां आवश्यक होगा बोर्ड अध्ययन, सर्वेक्षण आदि करेगा या करवायेगा ।

7. बोर्ड की सदस्यता अवैतनिक होगी । गैर-सरकारी सदस्य, यात्रा तथा दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधायें जो भारत सरकार द्वारा मंजूर की जायेंगी, पाने के पात्र होंगे । सरकारी पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सामान्य नियम, जो उन्हे लागू होते हैं, के अनुसार दिया जायेगा ।

8. बोर्ड समय समय पर जब आवश्यक होगा, अपनी बैठक करेगा । बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा किन्तु बोर्ड जहां आवश्यक समझेगा, उन स्थानों में जायेगा तथा ऐसे स्थानों में बैठकें भी करेगा ।

9. समय समय पर बोर्ड अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

बी० नन्जप्पा, सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION
(Department of Rehabilitation)
RESOLUTION

New Delhi, the 5th February 1968

SUBJECT.—*Constitution of a Board of Rehabilitation.*

No. 3(5)/67-RH-V.—In continuation of the Government of India, Ministry of Labour, *Employment and Rehabilitation (Department of* Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RH-V. dated the 30th January, 1968, it has been decided to appoint Shri Kamalnayan Bajaj Member of Parliament, as a Member of the Board of Rehabilitation

V. NANJAPPA, Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968